

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:-प.22/निकृवि/ई-नाम/एसएफएसी/2020/47 दिनांक: 07.05.2020

निदेशक,

लघू कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC),
5 तल एनसीयूआई, अगस्त क्रांती मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली-110016,
E-Mail- sfac@nic.in

विषय:-ई-नाम पोर्टल पर राजस्थान की सहकारी संस्थाओं यथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व तिलम संघ को ई-नाम पोर्टल पर दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य की सहकारी संस्थाओं यथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व तिलम संघ को सब मण्डी यार्ड घोषित किया गया है। इन संस्थाओं को ई-नाम पोर्टल पर ऑनलाईन व्यापार के लिए अनुमति दिया जाना आवश्यक है। ई-नाम पोर्टल पर इन संस्थाओं को व्यापार की अनुमति दिए जाने से ई-नाम का गांवो तक प्रचार-प्रसार होगा तथा इससे संबंधित किसान एवं व्यापारी लाभान्वित होंगे।

इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी कृषि उपज मण्डी समितियों की तरह होगी, यहां किसान एवं FPO's अपनी कृषि जिंसों को ला सकेंगे तथा गेट एंट्री, परख इत्यादि के पश्चात् व्यापारी उपज की बोली लगाकर कृषि जिंसों का व्यापार कर सकेंगे।

अतः ई-नाम पोर्टल पर सहकारी संस्थाओं तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तिलम संघ को (Configure) कराये जाने का श्रम करावें।


(ताराचन्द मीणा)
निदेशक
कृषि विपणन

प्रतििलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

राज्य समन्वयक (राजस्थान) श्री रविचन्द्रा, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लि।


Oby Rshela
JMD